पत्रांक 626 धारा–57 / 2009–10 / आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर,वाणिज्य कर,
(धारा–57 अनुभाग)
दिनॉक देहरादून 19, मई, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 46 / 2008

सर्वश्री कोहली स्कैप ट्रेडर्स,
हाउस नं0 657, शुगर मिल रोड,
डोईवाला, देहरादून।

निर्णय का दिनांक :– मई, 2009
प्रार्थी की ओर से :– श्री मनोज कोहली (आवेदनकर्ता)

आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री कोहली ट्रेडर्स, हाउस नं0 657, शुगर मिल रोड, डोईवाला देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 30–03–09 को प्रार्थना–पत्र देते हुए आयरन स्कैप, कापर, एल्यूमिनियम तथा ब्रास स्कैप पर कर की दर के सम्बन्ध में पूछा गया है।

2– सुनवाई की तिथि को श्री मनोज कोहली (आवेदनकर्ता) उपस्थित हुए तथा दिये गये प्रार्थना–पत्र पर विचार किया गया।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा विभागीय आख्या प्रेषित करते हुए आयरन स्कैप केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम,1956 की धारा–14 (IV) में वर्गीकृत है। अतः इस आइटम पर कर की दर 4 प्रतिशत है। कापर स्कैप, ब्रास स्कैप एवं एल्यूमिनियम स्कैप उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की दरों से सम्बन्धित किसी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। यह उल्लेख किया गया है कि अतएव इस पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 12.5 प्रतिशत की करदेयता है।

4– मेरे द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। निष्प्रयोज्य सामान की श्रेणी में केवल आयरन स्कैप ही केन्द्रीय बिकीकर अधिनियम, 1956 की धारा–14 में घोषित वस्तु के रूप में वर्गीकृत की गयी है। अतः आयरन स्कैप पर प्रत्येक बिन्दु पर करदेयता 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। ब्रास स्कैप एवं एल्यूमिनियम स्कैप वस्तुतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–4 की उपधारा(2) के क्लॉज (b) के सबक्लॉज (i) के साथ पठित अनूसूची II B में वर्णित न होने के कारण इन पर करदेयता अवर्गीकृत वस्तुओं की भॉंति R.N.R. पर 12.5% की दर से प्रत्येक बिकी के बिन्दु पर निर्धारित की जाती है।

5– उपरोक्तानुसार धारा–57 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति आवेदकर्ता को एवं एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये।

(वी0के0 सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

2– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

3– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।

7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

8– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०यू० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रूडकी ।

9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

11– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।

12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।

13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।

14– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

19.05.

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।